न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 271/2021 निर्णय दिनांक :– 26.12.2022

उनवानी वाद :

दल्लाराम पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 –वादी–

बनाम

1. लाडादेवी पुत्री जगन्नाथ पत्नि मोहनलाल जाति रेगर निवासी नासिरदा हाल निवासी देवली. गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सोसर उर्फ सोमादेवी पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामनिवास जाति रेगर निवासी नासिरदा हाल निवासी टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रतीक जैन
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
पेराकार सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तेनी आराजी भूमि खाता 60 खसरा नम्बर 555 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम मानपुरा पटवारहल्का बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तेनी आराजी भूमि खाता 440 खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2245 रकबा 0.19 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण 2 व 3 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

जगन्नाथ रेगर (मृतक)

दल्लाराम	जगदीश	लाडा	सोसर उर्फ सोमा	धाप
पुत्र	पुत्र (अविवाहित फोत)	पुत्री	पुत्री	पत्नि (मृतक)

वाद वर्णित भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता जगन्नाथ की खातेदारी में अंकित थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से नामांतकरण खोला गया जिसमें ग्राम नासिरदा मे स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 440 मे तो वादी का नाम बतोर खातेदार अंकित कर दिया गया परन्तु ग्राम मानपुरा मे स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 60 मे वादी का नाम अंकित होने से रह गया। ग्राम मानपुरा मे स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 60 के राजस्व रिकार्ड मे जगदीश पुत्र जगन्नाथ, मु. धापू पत्नि जगदीश एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम अंकित है तथा जगदीश एवं मु. धापू की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम नासिरदा में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 440 के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम बतोर खातेदार सही रूप से अंकित हो रखा है परन्तु ग्राम मानपुरा की आराजी भूमि खाता संख्या 60 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित नहीं हो रखा है तथा जगदीश व मु. धापू की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 है। वाद वर्णित आराजीयात पर वादी का 1/3 हिस्सा है तथा वादी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी मोके पर काबिज है। इस कारण ग्राम मानपुरा की आराजी भूमि खाता संख्या 60 के राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कीं जाकर मृतक जगदीश व मु. धापू का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। वाद कारण आज से 5 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादी ने केसीसी ऋण हेतु नकल प्राप्त की जिसमे वादी का नाम अंकित होने से लगातार उत्पन्न हो रहा है। तहसीलदार जी देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। ग्राम नासिरदा में स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 440 के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 का

नाम बतोर खातेदार सही रूप से अंकित हो रखा है परन्तु ग्राम मानपुरा की आराजी भूमि खाता संख्या 60 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम अंकित नहीं हो रखा है तथा जगदीश व मु. धापू की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 है। वाद वर्णित आराजीयात पर वादी का 1/3 हिस्सा है तथा वादी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी मोके पर काबिज है। इस कारण ग्राम मानपुरा की आराजी भूमि खाता संख्या 60 के राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर मृतक जगदीश व मु. धापू का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। वाद कारण आज से 5 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादी ने केसीसी ऋण हेतु नकल प्राप्त की जिसमे वादी का नाम अंकित होने से लगातार उत्पन्न हो रहा है। तहसीलदार जी देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता प्रतीक जैन ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:— वाद पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। वाद वर्णित भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता जगन्नाथ की खातेदारी मे अंकित थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद विरासत से नामांतकरण खोला गया जिसमे ग्राम नासिरदा मे स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 440 मे तो वादी का नाम बतोर खातेदार अंकित कर दिया गया परन्तु ग्राम मानुपरा मे स्थित आराजी भूमि खाता संख्या 60 मे वादी का नाम अंकित होने से रह गया। वाद पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। ग्राम मानुपरा में स्थित आराजी भूमि खाता संख्यां 60 के राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र जगन्नाथ, मु. धापू पत्नि जगदीश एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम अंकित है तथा जगदीश एवं मु. धापू की मृत्यु हो चुकी है। वाद पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नम्बर 7 स्वीकार है। वाद वर्णित आराजीयात पर वादी का 1/3 हिस्सा है तथा वादी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी

मोके पर काबिज है। इस कारण ग्राम मानपुरा की आराजी भूमि खाता संख्या 60 के राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर मृतक जगदीश व मु. धापू का नाम विलोपित किया जाकर वादी को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद पत्र का चरण नम्बर 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही हैं। वाद पत्र का चरण नम्बर 9 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है ।वाद पत्र का चरण नम्बर 10 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नम्बर 11 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वादी द्वारा चाही गयी अधियाचना अ, ब स्वीकार है। वादी का वाद डिकी कर दिया जाये इसमे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाकर ग्राम मानपुरा की आराजी भूमि खाता संख्या 60 के राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर मृतक जगदीश व मु. धापू का नाम विलोपित किया जावे तथा वादी को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसमे हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी संख्या 3 सरकार का हित नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किये जाने से तनकियात बिन्दू कायम नहीं किये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना रही कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का इकबालिया जवाब होने से सीधे ही बहस की प्रार्थना की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादी स्वीकार कर डिकी करने की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2028–31 के कॉलम संख्या 5 खतोनी संख्या 35 के सामने जगन्नाथ पुत्र रामा कोम रेगर सा. नासिरदा का अंकन है व कॉलम संख्या 16 में जगन्नाथ फोत उसके जगदीश लड़का व लाडा व सोमा लडकियां व धापू बेवा है, का अंकन है। नामान्तकरण पंजिका ग्राम पंचायत मानपुरा तहसील देवली के कॉलम संख्या 16 में दिनांक 18.12.68 में जगन्नाथ पुत्र रामा

रेगर की खातेदारी प्रदान है, का अंकन हैं। मृतक जगदीश का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2017 जिसमें मृतक जगदीश के पिता का नाम जगन्नाथ व माता का नाम धापू का अंकन है। इसी प्रकार धापू का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2017 के अनुसार धापू की मृत्यु हो चुकी है। आधार कार्ड संख्या 998480114472 में दल्लाराम रेगर के पिता का नाम जगन्नाथ रेगर निवासी मोहल्ला रेगरान अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 440 ग्राम नासिरदा में दल्लाराम पुत्र लाडादेवी, सीमादेवी पुत्रियां जगन्नाथ खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 60 ग्राम मानपुरा में जगदीश पुत्र धापू पत्नी लाडा, सोसर पुत्रियां जगन्नाथ खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें वादी दल्लाराम का खातेदार के रूप में अंकन नहीं है जबकि दल्लाराम वादी भी जगन्नाथ का पुत्र हैं, जिसमें बतोर खातेदार अपना नाम अंकन करवाने के लिए वादी ने वाद पेश किया है। उक्त राजस्व दस्तावेज व आधार कार्ड व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के इकबालिया जवाब से जाहिर है कि दल्लाराम जो कि जगन्नाथ जाति रेगर निवासी निवासी नासिरदा का पुत्र है । स्व. जगन्नाथ की नासिरदा की आराजियात खाता संख्या 440 में वादी के नाम का अंकन सही हो गया परन्तु मानपुरा की जगन्नाथ की खातेदारी की आराजीयात खांता संख्या 60 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने से रह गया जिसका वादी हकदार है और जगदीश पुत्र जगन्नाथ व धापू पत्नी जगन्नाथ की मृत्यु हो चुकी है। जगदीश पुत्र जगन्नाथ लाओलाद फोत हो गया है। अतः जगदीश व धापू के वारिसान भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 है। ऐसी स्थिति में जगदीश व धापू के खातेदार के रूप में नाम को विलोपन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली की जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 60 ख. नं. 555 रकबा 0.61 है0 में दर्ज जगदीश पुत्र जगन्नाथ व मु. धापू पत्नी जगन्नाथ का नाम विलोपित किया जाता है तथा वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक .....

उनवानी वाद :

दल्लाराम पुत्र जगन्नाथ जाति रेगर उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1. लाडादेवी पुत्री जगन्नाथ पत्नि मोहनलाल जाति रेगर निवासी नासिरदा हाल निवासी देवली गांव तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सोसर उर्फ सोमादेवी पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामनिवास जाति रेगर निवासी नासिरदा हाल निवासी टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 271 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू प्रतीक जैन अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली की जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 60 ख. नं. 555 रकबा 0.61 है0 में दर्ज जगदीश पुत्र जगन्नाथ व मु. धापू पत्नी जगन्नाथ का नाम विलोपित किया जाता है तथा वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार उद्घोषित किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया।

संख्या 271 / 2021 उनवान. दल्लाराम बनाम लाडादेवी आदि
य दिनांक 26.12.2022

दस्तखत ....B.. Ra....
ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी [illegible] (ब ब)....

मुहर

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए